



राजस्थान सरकार


कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर  
क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28662 दिनांक : 24/03/2020

### आदेश

शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(26) खा.वि./न्याय/72-111 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा कोविड-19 (कोराना वायरस) के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त निर्देशों के अनुसरण में भोजन पैकेट वितरण सेल का गठन किया जाकर निम्नानुसार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय पदनाम	नियुक्त अधिकारी का विवरण
1.	श्री के.के. गोयल, सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर	नॉडल अधिकारी
2.	श्री अश्वनी गुर्जर, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर	सदस्य सचिव एवं सहायक अधिकारी
3.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)	सहायक अधिकारी
4.	आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा	सहायक अधिकारी

उपर्युक्त सारणी अनुसार नियुक्त नॉडल अधिकारी निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण का कार्य जिले में सफलतापूर्वक करवाने के संदर्भ में पर्यवेक्षण करेंगे। भोजन पैकेट तैयार करवाने, वितरण करने के संबंध में आयुक्त, नगर परिषदों एवं समस्त विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त विकास अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा अपने-अपने क्षेत्रों में जिला रसद अधिकारी द्वारा आपूर्ति किये गये भोजन पैकेट्स को संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। भोजन पैकेट बनाने के संदर्भ में जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज. जयपुर से प्राप्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

  
(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/2843-671 दिनांक : 24/03/2020  
प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
3. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर
4. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
5. जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
7. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
8. आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर/बालोतरा
9. रक्षित पत्रावली

  
जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर